

रिजरट्रेशन नग्वर--एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०--91/2008-10

लाइसेन्स टू पोरट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009 फाल्पुन 9, 1930 शक राग्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग—1

संख्या 497/79-वि-1-09-1(क)7-2009 लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य रांवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियग संख्या 11 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम. 2008 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियग बनाया जाता है :--

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म

(2) धारा 2 का खण्ड (ध) और (ङ); धारा 3, धारा 5 और धारा 6; धारा 8 का खण्ड (च) (छ) और (ज); धारा 10, धारा 11 का खण्ड (क), धारा 14, धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित मूल अधिनियम की उपधारा (17), धारा 17, धारा 18, धारा 22, धारा 24, धारा 29 और धारा 34, दिनांक 01, जनवरी 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा शेष उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 सन् 2008 की धारा 2 का रांशोधन 2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कह गया है, की धारा 2 में,—

- (क) खण्ड (ज) में, उप-खण्ड (नौ) और (दस) के रथान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :--
 - "(नौ) रेल आधान संविदाकार; वायु जहाजी माल संचालक (एयर कार्गों आपरेटर); कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारममन हेतु प्राधिकार -पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्ममन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो;
 - (दस) उपखण्ड (नौ) में संदर्भित परिवहन कर्ता से भिन्न, गोदाम, शीतगृह या वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वरतुओं का भण्डारण करते हों।"
 - (ख) खण्ड (त) के अन्त में निम्नितिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार के अन्तरण के गामले में संदत्त या संदेय कर इनपुट कर का भाग नहीं होगा।"

(ग) खण्ड (क घ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(पाँच) प्रभारित या प्रभार्य कर, विक्रय मूल्य का अंश नहीं होगा।

- (छ) विक्रय के सभय नकद या व्यापारिक छूट, जैसा कि बीजक से सुव्यक्त हो, विक्रय मूल्य से घटा दिया जाएगा परन्तु कोई कार्योत्तर प्रदान की गई छूट या प्रोत्साहन या छूट (रिबेट) या पारितोषिक और इसी प्रकार की कोई छूट विक्रय मूल्य से नहीं घटायी जायेगी।"
- (घ) खण्ड (क छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--
- "(क छ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन समावार पत्र को छोड़कर माल की खरीद या बिक्री या दोनों जैसी भी स्थिति हो, पर उद्यवहणीय कर से है और इसमें सम्मिलित रहेगा,—
 - (एक) बिक्री आवर्त पर देय वास्तविक कर के स्थान पर धारा 6 या धारा 6क के प्रावधानों के अधीन संदेय; यथास्थिति सहमति दर से या एकमुश्त, समाधान राशि;
 - (दो) उत्क्रगित इनपुट टैक्स की धनराशि"
- (ङ) खण्ड (क ज) के स्थान पर निम्नितृखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात "(क ज) ''कराधेय व्यवहारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी हो।"
- (च) खण्ड (क न) के स्थान पर निग्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात
- "(क न) ''वेबसाइट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के वर्ल्स वाईड वेब से हैं, जिसमें ूपी, एनआईसी, आईएन'' और ''एचटीटीपी : / / कागटैक्स, यूपी, एनआईसी, आईएन'' पता है अथवा ऐसे अन्य वेबसाइट से हैं जो राज्य सरकार द्वारा अधिस्थित की जाए;''

धारा 3 का संशोधन 3--मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (3) की सारिणी के क्रमांक 8 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निभ्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम संख्या	व्यापारियों का वर्ग	दिनांक
1	2	3
8	(एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न पाया जाय या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो, (दो) उपखण्ड (एक) के अधीन आच्छादित परिवहनकर्ता को छोड़कर परिवहनकर्ता रो मिन्न गोदाम, शीतगृह या वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी जो ऐसे गोदाम, शीतगृह या मण्डारागार में ऐसी रखी गयी कर योग्य वस्तुओं के रवामी का नाम और पता उद्घाटित करने में विफल होता है अथवा कर योग्य वस्तुओं के स्वामी का उद्घाटित ऐसा नाम और पता मिथ्या, छलपूर्ण या अपुष्टनीय पाया जाता है।	प्रथम दिनांक जिसको कोई कराधेय गाल कब्जा या अभिरक्षा में पाया जाए।

· (ख) उपघारा (4) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :--

."प्रतिवन्ध यह है कि जहां कोई व्यवहारी कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग में कारबार करता है वहां कराधेय मात्रा रूपये पांच लाख की आंशिक धनराशि होगी जिसकी गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जाएगा।"

(गें) उपधारा (10) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:--

(11) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाय, राज्य सरकार किसी विद्युत परियोजना औद्योगिक इकाई, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण और वितरण करती हो तथा जिसकी समुच्चय पूंजी लागत रु० 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, को व्यवहारियों द्वारा उस इकाई को की गयी ऐसी बिक्री पर होने वाले कर दायित्व को रवयं लेने हेतु अनुमति दे सकती है

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "संग्रह करने का हकदार नहीं है" के स्थान पर शब्द "संग्रह करने का हकदार नहीं हैं या हकदार होने पर संग्रह नहीं किया है" रख दिये जारोंगे। धारा ४ का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,-

धारा 5 का संशोधन

- (क) शब्द ''किसी कराधेय माल'' के स्थान पर शब्द ''किसी कराधेय'' रख दिये जायेंग
- (ख) खण्ड (एक) में, शब्द "से भिन्न" के स्थान पर शब्द "से भिन्न माल" रख दिये जायेंगे;
- (गं) शब्द ''कर का भुगतान करने का दायी होगा'' के स्थान पर शब्द ''उद्ग्रहीत कर का भुगतान करने का दायी होगां'' रख दिये जायेंगे। 6-मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

धारा 6 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि संकर्ग संविदा के निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर केवल पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की प्रान्त में पुन: बिक्री करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे गाल के विक्रय का आवर्त 50 लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्वभागी कर निर्धारण वर्ष में प्रचास लाख रुपये से अधिक न हुआ हो तो राज्य सरकार ऐसे गाल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है।"

(ख) उपधारा (2), (3) एवं (4) के स्थान पर निग्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

- "(2) इस धारा के अन्तर्गत समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प लेने वाला व्यवहारी माल की खरीद पर समाधान अवधि में पुनः बिक्री करने पर या ऐसी निर्मित या प्रसंस्कृत नरत जिसकी विक्री समाधान अवधि में की गई है, के निर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग या खपत की गई है, धारा 13 के अधीन देय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है और जहाँ व्यवहारी ने ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स का दावा कर लिया है वहाँ व्यवहारी धारा 14 के प्राविधानों के अनुसार उत्क्रमित इनपुट टैक्स की धनराशि का गुगतान करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन समाधान राशि भुगतान का विकल्प लेने वाला व्यवहारी कर बीजक जारी नहीं करेगा और गिन्न नाम या रूप में इस हेतु कोई धनराशि क्रेता से वसूल नहीं करेगा।
- (4) इस धारा के अधीन समाधाः राशि का विकल्प लेने वाले व्यवहारी से माल की खरीद करने वाला व्यवहारी ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं है।"
- (ग) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:--
- "(5) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन समाधान राशि के भुगतान का विकल्प देने वाले व्यवहारी का जहाँ विक्रय आवर्त रुपये पचास लाख से अधिक होता है तो वह उस दिन को और जब से विक्रय आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हो जाय, उपधारा (4) मं प्राविधानित दर से कर के भुगतान का दायी हो जायेगा।

स्पष्टीकरण :-- उपधारा (1) एवं (5) के प्रयोजनार्थ जहाँ व्यवहारी किसी कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग में व्यवहार करता है तब कराधेय आवर्त की गणना रुपये पचास लाख वार्षिक आवर्त के अनुपातिक आधार पर की जायेगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जायेगा।"

7-मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चांत् निग्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्-

"6-क (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, परन्तु किमश्नर के निदेशों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत सन्देय अथवा अधिरोपणीय कर या शास्ति के बदले में, कर निर्धारक अधिकारी

पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से करार हुई दर पर या एकगुश्त सगाधान धनराशि के रूप में स्वीकार कर सकता है, जहाँ कोई व्यक्ति –

(क) करापवंचन के उद्देश्य से -

(एक) ऐसे माल;याः

- (दो) ऐसे गाल या का प्रयोग करके विभिर्मित या प्रसंरकृत या पैक किये गाल की बिक्री पर धारा 50 या धारा 51 के प्राविधानों के विपरित आयात, या आयात का प्रयास या आयात का द्ध्रेरण करता है, या
- (ख) किसी कर योग्य माल का इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंधन करके परिवहन करता है, या परिवहन का प्रयास करता है; या
- (ग) करयोग्य माल को वाहन या जलयान में ढोता है और ऐसा माल कारवारं के सामान्य क्रम में रखे गये लेखों, रजिस्टरों एवं अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है

इस अधिनियम के किसी भी उपबन्धों के अधीन अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि से कम धनराशि नहीं परन्तु ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने या माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत से अनिधक, जो भी अधिक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो वाहन या जलयान गे रखे माल को कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रकटित नहीं करते।

(3) कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अन्तर्गत करार पर निर्धारित दर भर^{्था} एकमुश्त समाधान धनराशि जमा कर दी है, उसके लिए उसी वस्तु हेतु —

नई घारा ६-क बढ़ाया जाना

- (क) धारा 24 के अन्तर्गत कर अवधि हेतु विवरण पत्र दाखिल करना;
- (ख) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना:
- (ग) अधिनियम के किसी उपबंध के अन्तर्गत कर निर्धारित होना; और
- (घ) धारा 3 के अन्तर्गत कर का दायी होना; आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 45 और 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत या जांच चौकी पर तैनात वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिग्न स्तर का अधिकारी कर निर्धारक प्राधिकारी में सम्भिलित होगा।

8-मूल अधिनियम की घारा 13 में,-

धारा 13 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, सारिणी में क्रमांक 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रतम्पवार प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"3	यदि क्रय किये गये गाल— (एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या (दो) गैर वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये जाएं और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए।	इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो क्रय गूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है जिस पर व्यवहारी द्वारा पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर दिया गया है।

(ख) उपधारा (1) में स्वष्टीकरण के स्थान पर निग्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण :- इरा उपधारा के प्रयोजनार्थ,--

- (क) माल के पुनः विक्रय में संकर्म संविदा के निष्पादन में गाल के स्वामित्व का अंतरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्मिलत है।
- (ख) माल के निर्माण हेनु आवश्यक वस्तु में कैप्टिवपावर प्लान्ट को चालू रखने के लिए आवश्यक माल राग्मिलित नहीं है।"
 - (ग) उपधारा (3) के रथान पर निग्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--
 - "(3) (क) जहाँ क्रय किये भाल का प्रयोग या निस्तारण उपधारा (क) भें या अन्यथा विनिर्धिष्ट उद्देश्यों के लिए आशिक रूप से हो, तो इंगपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उसी सीमा के अनुपात में होगी जिसमें वे ऐसे खण्ड में विनिर्धिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग या निस्तारित किए जाते हैं।
 - (ख) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन जहाँ वैट गाल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के अतिरिक्त कर मुक्त गाल और नान-वैट गाल का उत्पादन होता है वहां इनपुट टैक्स क्षेडिट का दावा और अनुमन्यता उस सीगा के अनुपात में होगी जिसमें करगुक्त गाल और नान-वैट गाल से भिन्न माल के विनिर्माण में प्रयोग या खपत में होती है।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "करमुक्त गाल में, नान-वैट गाल से भिन्न, वह करयोग्य गाल भी सम्भिलित होगा जिसका राज्य के भीतर की गयी बिक्री, या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गयी बिक्री या भारत की सीमा के बाहर गाल के निर्यात के दौरान की गयी बिक्री या राज्य के बाहर की गयी बिक्री से भिन्न अन्य रीति से निस्तारण किया गया है!"

- (घ) उपधारा (4) के अन्त में विद्यमान शब्द "उसके द्वारा देय कर" के रथान पर शब्द "उराके द्वारा देय कर और वह क्रय के करयोग्य आवर्त पर जमा कर का प्रमाण रखता हो" रख दिये जायेंगे।
- (ড) उपधारा (७) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :--
 - ''(तीन) ऐसा माल ऐसे माल के उपयोग के अन्तरण हेतु है।''
- (य) उपधारा (9) को खण्ड (क) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जायमा तथा इस प्रकार पुनः क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :
 - "(ख) जहां सकर्म रांविदः का आंशिक निष्पादन उप रांविदाकार द्वारः किया जाता है वहां सकर्म संविद। के निष्पादन में अंतर्ग्यरत राामग्री के क्रय के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा संविदाकार या उप संविदाकार, जैरी स्थिति हो, द्वारा क्रय किये गये गाल, जिसका वास्तव में सकर्म रांविदा के निष्पादन में प्रयोग किया गया हो, की सीमा तक रांविदाकार या उप संविदाकार द्वारा किया जाएगा और असुक्षेय होगा।"
- (६) उपधारा (११) के परन्तुक में शब्द ''अध्यादेश'' के स्थान पर शब्द 'अधिनिथम'' रख दिया जाएगा।
 - (ज) रपष्टीकरण में --
 - (एक) शब्द और अंक "स्पादीकरण (1)" के स्थान पर शब्द "स्पष्टीकरण" रख दिया जाएगा।
 - (दों) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

"(चार) यदि किसी वैट माल की निर्माण की प्रक्रिया में उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नॉन वैट माल उत्पादित होता है तो यह माना जाएगा कि क्रय की गई वस्तु का प्रयोग वैट माल के विनिर्माण में हुआ है, इसी प्रकार नॉन वैट वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में कोई वैट माल उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है तब यह माना जाएगा कि उस वस्तु का प्रयोग नॉन वैट माल के विनिर्माण में हुआ है।"

धारा १५ का संशोधन ं 9-मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (3) में विद्यमान परन्तुक के रथान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"प्रतिबंध यह है कि व्यवस्थी जिनक। गुख्य कारबार भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान माल की बिक्री करने का है के गागले में, कर निर्धारक प्राधिकारी। धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कर अवधि की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक धनराशि का अरथायी वापसी अनुज्ञात करेगा।"

धारा 17 का संशोधन 10-भूल अधिनियम की धारा 17 में,-

- (क) उपधारा (5) के स्थान ५. निग्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएगी, अर्थात्ः
- "(5) (क) प्रत्येक व्यवहारी जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र धारित करता है और इरा अधिनियम के अन्तर्गत कर की दायी है, वह पंजीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी, जैसी रिधित हो, को 01 जनवरी, 2008 से एन्ट्रह माह की अवधि के भीतर विहित रीति से विहित प्रारूप में ऐसे प्रमाण पत्र की इस अधिनियम में वैधता के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन वेम

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंजीकरण या कर निर्धारक प्राधिकारी जैसी स्थिति हो, संतुष्ट है कि विहित प्रारूप एवं रीति में उक्त वर्णित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान है, तो वह रूपये 500/— प्रतिमाह या उसके भाग के हिसाव से विलम्बित अवधि हेतु जमा विलम्ब शुल्क के साथ व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर एक माह से अनिधक अविध तक बढ़ा सकता है।

- (ख) पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यवहारी यदि विहित प्रारूप में विहित रीति से अब्द (क) में सन्दर्भित अविध के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी या पंजीकरण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र के वैधीकरण और जारी करने हेतु आवेदन करने में विकल होता है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रभावहीन हो जायेगा।"
- (ख) उपधारा (६) के रथान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी. अर्थात्:
- "6 (क) कोई रेल आधान संविदाकार वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर या ट्रान्सपोर्टर के अतिरिक्त गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या अण्डारगार का कोई खागी या प्रभारी जो वाणिजियक वस्तुओं का भण्डारण करता है, पंजीकरण प्राधिकारी के यहां ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, विना पंजीकृत हुए राज्य में करयोग्य माल से संबंधित माल का कारवार नहीं करेगा। ऐसे कारवार का संचालक विहित अवधि के भीतर अपने पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को विहित रीति से आवेदन करेगा।
- (ख) ट्रान्सपोर्टर या कैरियर को छोड़कर, रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संवालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर, मोदाम, कोल्ड स्टोरेज या भण्डारमार का कोई स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करता है, ऐसे अभिलेख रखेगा जैसे विहित किये जाए।
- (ग) दि कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 से आच्छादित प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर या कैरियर ऐसी सूचनाएं और दरतावेज जैसे विहित किये जायें, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"
- (ग) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :--
- "(9) उपधार! (5) के उपबन्धों के अध्यधीन पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत जारी और इस अधिनियम के अन्तर्गत वैध रूप से धारित पंजीयन प्रमाण-पन्न इस अधिनियम के लांगू होने की तिथि से प्रभावी होगा।"
- (घ) उपघारा (13) के स्थान पर निग्नलिखित उपघारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--
- (13) उपधारा (12) के अधीन पंजीयन प्रभाण-पत्र के निलम्बन की अविधि में व्यवहारी अपंजीकृत व्यवहारी माना जायेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया को अगिलिखित आदेश करते हुये ख्ययं संगाप्त कर देता है या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित निलम्बन का आदेश किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया जाता है तो व्यवहारी को निलम्बन की उस अविध के लिये पंजीकृत व्यवहारी व्यवहत किया जायेगा।"
- (ड) उपघारा (14) में, स्पष्टीकरण (एक) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय" रख दिये जायेंगे।

धास 21 का संशोधन 11-मूल अधिनियम की धारा 21 में,--

- (क) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द "दस लाख" के रथान पर शब्द "पचीस लाख" रख दिया जायगा।
- (ख) उपधारा (13) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख ।ইয়া जायेगा, अर्थात् :--
 - "(घ) धारा 6 के अधीन समाधान धनराशि के भुगतान का विकल्प करने वाले व्यवहारी के प्रकरण में,—
 - (एक) धारा 6 के अधीन प्राविधान लागू होने की तिथि में आरम्भिक रहित्र। में धारित माल और
 - (दो) धारा 6 के प्राविधान निष्प्रमावी होने की तिथि में आरम्भिक रहतिए.।। धारित माल'
 - (ग) उपधारा (16) में परन्तुंक निकाल दिया जायेगा।
- (घ) उपधारा (17) में स्पष्टीकरण में खण्ड (तीन) को निकाल दिया जायेगा। 12—मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

घारा 22 का संशोधन

- (क) उपधारा (1) में
- (क) शब्द ''कर या एक गुश्त'' के स्थान पर शब्द ''समाधान धनराशि' स्खु दिये जायेंगे।
- (ख) ''विहित प्रपन्न में और विहिंत रीति में एक कर बीजक जारी करेंगूँ जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जो विहित किये जायें'' के स्थान पर शब्द 'ऐं^{भी} कर बीजक जारी करेगां जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होगी जैसी विहित ^{के} जायं और इसमें माल क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और कर दाता पहचान संख्या, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी'' रख दिये जायेंगे।
 - (ग) दोनों परन्तुक निकाल दिये जायेंगे।
- (ख) (क) ওपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायें। अर्थात् :--
 - "(3) उपधारा (1) में प्राविधानित व्यवहारी को छोड़कर सभी काहारी क्रेता हैं विक्रय बीजक विहित रीति से जारी करेगा और इसमें ऐसी विशिष्टियां जैसे विहित की जाए, निहित होंगी।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा में विक्रय बीजक का तात्पर्य बिल बीजूंब कैश / क्रेडिट मेमों के प्राकृतिक के बीजक से है, जिसमें ऐसी विशिष्टिया अन्तर्विष्ट हो, जैसी निहित की जाय"।

- (ख) उपधारा (4) में शब्द 'बिल या कैशमेगो'' या ''कैशगेगो या बिल जीं कहीं भी आये, के स्थान पर शब्द ''विक्रय बीजक'' रख दिये जायेंगे।
- (ग) उपधाराएं (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जा अर्थात् :--
 - "(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी प्रत्येक कर बीजक पर संक्रिक कर की धनराशि अलग से प्रभारित करेगा। उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास अलग से कर प्रभारित कर सकता है।

(6) विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर बीजक, विक्रय बीजक, जैसी रिथिति हो, की तैयार की गयी कार्यालय प्रति क्रेता व्यवहारी, कर बीजक, विक्रय बीजक की प्राप्त प्रति, जैसी स्थिति हो, उनके द्वारा धारा 21 की उपधारा (3) में प्राविधानित अवधि तक सुरक्षित रखी जाएगी।"

13-मूल अधिनियम की धारा 23 में:-

धारा 23 का संशोधन

- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:--
- "(1) (क) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्यधीन पंजीकृत व्यवहारी नहीं है स्वयं या स्वयं के गाध्यम से की गई बिक्री अथवा खरीद पर किसी व्यक्ति से कोई धनराशि कर के रूप में या खरीद या बिक्री पर कोई धनराशि कर के स्थान पर अन्य नाम अथवा रंग मे वसूल नहीं करेगा और इस अधिनियम के अध्यधीन कोई पंजीकृत व्यवहारी ऐसे व्यक्ति जिसको विक्री अथवा जिससे खरीद की गई है के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति सें खरीद या बिक्री पर कर अथवा खरीद या बिक्री पर कोई अन्य नाम या रंग में वसूल नहीं करेगा।
- (ख) जहाँ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत आढ़ती या घारा 2 के खण्ड (ज) में उल्लिखित व्यक्ति सहित किसी व्यवहारी द्वारा किसी आवर्त पर माल के खरीद या बिक्री पर कर संदेय हो वहां ऐसा व्यवहारी माल के विक्रय या क्रय पर संदेय कर की धनराशि के बराबर धनराशि, ऐसे व्यक्ति, जिसे ऐसा कोई गाल उसके द्वारा विक्रीत किया जाय, से या तो उसके निजी उत्तरदायित्व पर या - उसके निर्देष्टा से वसूल सकता है।
- (ख) उपधारा (3) के पश्चात् निग्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--
- "(4) कोई व्यवहारी माल के क्रय पर पहलें ही भुगतान की गयी कर की धनराशि को पुनःविक्रीत ऐसे माल, या ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय मृल्य में सम्मिलित नहीं करेगा।"

14-पूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (9) में जहां कहीं शब्द "विवरणी" आया धारा 24 का हो, के स्थान पर शब्द "सूचना और दरतावेज" रख दिये जायेंगे।

संशोधन

नयी धारा 26-क का बढाया जाना

आकस्मिक व्यापारियों के लिए

विशेष उपदंघ

15-मूल अधिनियम की घारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26-क बढ़ा दी जाएगी; अर्थात :-

26-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी प्रतिकूल बारा के होते हुए भी आकस्मिक व्यापारी, -

- (क) उत्तर प्रदेश में अपना कारवार प्रारम्भ करने के कम से कम तीन दिन
- पूर्व अपने कारवार की ऐसी विशिष्टियों को, ऐसे प्रारूप में और रीति से जैसी विहित की जाएं, कर निर्धारक प्राधिकारी को सूचित करेगा; (ख) ऐसी अवधि, जिसमें आकस्मिक व्यापारी उत्तर प्रदेश में कारबार कर रहा
- हो, भें ऐसी धनराशि की प्रतिभूति नकद या वैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जैसाकि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय जो कर भुगतान के अनुमानित धनराशि से अधिक नहीं होगी।
- (ग) पूर्व दिन के दौरान की गयी बिक्री के आधार पर प्रतिदिन कर भ्यतान करेगा ;
- (घ) उत्तर प्रदेश में अपने कारबार की समाप्ति के अगले दिन विहित प्रारूप एवं रीति में कर निर्धारक प्राधिकारी को कर विवरणी प्रस्तुत करेगा;

- (ङ) कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा।
- (2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत की गयी सूचना का सत्यापन करने के पश्चात तथा खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी आकरिनक व्यापारी को रिजिस्ट्रीकृत करेगा।
- (3) आकस्मिक व्यापारी के रिजस्ट्रीकरण के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी इस अधिनियंग की धारा 50 और 51 में संदर्भित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री किए जाने हेतु लाने के लिए अपेक्षित रूपपत्र जारी करेगा और आकरिंगक व्यापारी सभी प्रयुक्त प्रपत्र का पूरा लेखा रखेगा और उपधारा (1) के खण्ड (ध) में रांदर्गित विवरणी के साथ सभी अप्रयुक्त प्रपत्र अग्यर्पित करेगा।
- (4) उपधारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन आकरिगक व्यापारी द्वारा प्रस्तुत कर विवरणी: उपधारा (3) में संदर्भित रूपपत्रों और जारी किए गए विक्रय बीजकों के साथ उसके द्वारा रखे गए लेखों का परीक्षण करने के पश्चात एक सपाह के भीतर उसका कर निर्धारण कर देगा और उस पर कर निर्धारण और मांग पत्र की नोटिस तामिल करेगा और यदि प्रतिभूति जमा है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत संदेय कर एवं अन्य देशों का समायोजन के बाद अवशेष प्रतिभृति की सशि वापस करेगा।
- (5) आकस्मिक व्यापारी कर निर्धारण की नोटिस और मांग पत्र में उल्लिखित धनराशि को तत्काल जमा करेगा।
- (6) इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि देथ धनराशि जमा कर दी गयी है, कर निर्धारक प्राधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या अवशेष प्रतिभूति अवगुक्त कर देगा।
- (7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी आकस्मिक व्यापारी के सम्बन्ध में धारा 3 में विनिर्दिष्ट कर योग्य मात्रा शून्य होगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा में आकस्मिक व्यापारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चाहे निर्देध्या, अमिकर्ता या किसी अन्य हैसियत से क्रय, विक्रय, गाल की आपूर्ति या वितरण या उत्तर प्रदेश में किसी प्रदर्शनी एवं विक्रय चाहे नगद, आस्थिगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु आकस्मिक संव्यवहार करता है।

16-पूल अधिनियम की धारा 33 में. उपधारा (16) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जाएगी. अर्थात् :--

धारा ३३ का संशोधन

(17) इस अधिनियग एवं तद्धीन निर्मित नियगावली के किसी अन्य उपवंध में अन्तर्विधः किसी बात के प्रतिकृत होते हुए भी राज्य सरकार पायर प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से, ऐसी शर्तों जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन अधिस्थगन दे सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "स्वीकृत कर" के अन्तर्गत ऐसी इकाई द्वारा धारा 3 की उपधारा (11) के अधीन स्वामित्व प्राप्त अन्य व्यवहारी का कर दायित्व सम्मिलत है।

(18) इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय कर अथवा शास्ति की वसूली के लिए कोई माल किसी रक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहित किया गया है और ऐसा माल ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति माल को उसी दशा और स्थिति में प्राधिकारी को वापस करने में असफल रहता है, तब माल के मूल्य की समराशि ऐसे ध्यक्ति से भूराजस्व बकाया की तरह वसूल की जाएगी।

7-गृल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा धारा 34 का दी जाएंगी, अर्थात् :--

संशोधन

- "(14) इस धारा के अधीन विक्री की आवर्त पर कोई कटौती नहीं की जाएगी जहाँ ऐसी बिक्री,-
 - (एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के प्रक्रम में: या
 - (दो) राज्य के वाहर; या
 - (तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यास अधवा उसके भीतर आयात के प्रक्रम में की जाय।"

18—मूल अधिनियम की धारा 39 में उपधारा (1) के खण्ड (ख) में हिन्दी रूपान्तर में शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "पांच लाख", रख दिये जायेंगे।

धारा ३९ का रांशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (7) के पश्चात निग्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात, —

धारा ४० का संशोधन

"(8) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन प्रतिसंदेय धनराशि का संभायोजन इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति या किसी अन्य देयों की धनराशि के विरुद्ध किया जा सकता है।"

20-गृल अधिनियम की धार। 40 के पश्चात निग्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी. अर्थातः-

नयी धारा ४०-क का बढाया जाना कतिपय गागलों में प्रतिसदाय का शेका

- 40—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या किसी न्यायालय अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई:का अवसर प्रदान किये जांने के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी की रिपोर्ट पर कभिश्नर का यह समाधान हो जाय कि,-
 - ं (क) व्यवहारी ने आवर्त की मिथ्यां विवरणी प्रस्तुत की है या अपने आवर्त का विवरण छिपाया है या जानबुझकर ऐसे आवर्त का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है या कर निर्धारक प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को अनुरक्षित पुंस्तकों, लेखों या दस्तावेजों का या ऐसे व्यवहारी द्वारा स्टाक में धारित किये जाने हेतु प्रदर्शित गाल का निरीक्षण और परीक्षण करने से रोका है या सक्षम प्रांधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निष्पादन करने में बाधा उत्पंन्न किया है।
 - (ख) ऐसी खरीद जिसके संबंध में किसी विवरणी में दावा की गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट, सत्यापनीय न हो; या
 - (ग) व्यवहारी ने माल के वारतविक क्रय के बिना कर बीजक प्राप्त किया हो; या
 - (घ) व्यवहारी इस अधिनियम् या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम्, 1956 के किसी जुपबंघ के अधीन उरासे मांगी गयी किसी प्रतिभूति को प्रस्तुत करने में विफल रहा हो: या
 - (ङ) कपट में संलिप्त परिस्थितियां विद्यमान हैं,

और जहाँ किमश्नर का यह भत है कि यदि वापसी अनुज्ञात कर दी जाती है तो उदग्रहीत किये जाने वाले कर या शारित की धनराशि को वसूलना संभव नहीं हो सकेगा तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रतिसंदाय की ऐसी धनराशि जो यथारिथति कर अथवा शास्ति या दोनों की धनराशि को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, प्रतिभृति के तौर पर उस अवधि तक जैसा कमिश्नर विहित करें, रोके जाने हेत् आदेश पारित करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

- (2) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी यह पाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जैसी उपधारा (1) में उल्लिखित हैं और अभिलेखों में पर्धाप्त तथ्य उपलब्ध हैं, वह किमश्नर को प्रतिसंदाय की धनराशि को रोके जाने के लिए अनुमित देने हेतु रामी तथ्यों सिहत रिपोर्ट प्रेषित करेगा।
- (3) कर निर्धारक प्राधिक:री . र निर्धारण या शास्ति या दोनों से संबंधित अपने समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ, ऐसी अवधि, जैसी किमश्नर द्वारा विहित की जाए, के भीतर पूर्ण कर लेगा,

प्रतिबंध यह है कि यदि कमिश्नर का यह सगाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो कर निर्धारक प्राधिकारी को विहित अविध में कर निर्धारक या शारित संबंधी कार्रवाई करने से रोकती है तो वह अविध को बढ़ा कर अनिधक 90 दिन कर सकता है।

(4) कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात कर निर्धारण या शारित संबंधी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुई गांग के विरुद्ध रोकी गयी धनराशि का समायोजन किया जाएगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, जिस तिथि से प्रतिसंदाय देय हो उस तिथि से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा उपबंधित रीति से वापस कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन हेतु प्रतिसंदाय में इसपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिसंदाय भी सम्मिलत है।

धार। 41 का संशोधन 21-मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी. अर्थात:--

41(1) घारा 40 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यवहारी के मामले में जिसका मुख्य कारबार भारत राज्य क्षेत्र के बाहर मालों के निर्धात के दौरान माल की बिक्री करना है कर निर्धारक प्राधिकारी कर अबधि की विवरणी और निर्धात के साध्य सहित अनिताम प्रतिरांदाय का प्रार्थना-पन्न प्राप्त होने पर दावे की सत्यता को स्थापित करने हेतु सम्परीक्षा और जांच तथा परिणामी कर निर्धारण के लंबित रहते हुए भारत राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्धात के दौरान की गयी बिक्री के कारण ऐसी कर अबधि के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य को ऐसी प्रार्थना-पन्न की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर अनन्तिम प्रतिरांदाय अनुज्ञात करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत कर, शुल्क या शारित या कोई अन्यं धनराशि व्यापारी द्वारा देय, है तो प्रतिसंदेय पायी गई धनराशि का पहले यथारिथित कर या फीस या शास्ति, की ऐसी धनराशि के विरुद्ध समायोजने किया जायेगा और अधिक धनराशि, यदि कोई हो, व्यवहारी को वापस कर दी जायेगी:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिसंदाय अनुज्ञात किये जाने के पूर्व कर्षे गिर्धारक अधिकारी अपने संतोषानुसार व्यवहारी से प्रतिसंदाय की धनराशि के बराबर प्रतिभृति धनराशि प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता जहां :

- (क) व्यवहारी इस अधिनियम, या पूर्ववती अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर अपवंचन में तिप्त पाया गर्या हो; या
- (ख) व्यवहारी ने इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की अधिनियम के अन्तर्गत ड्यूटी के निवर्हन से रोका या बाधित किया है। या

- (ग) ध्यवहारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम या उत्तर प्रदेश रथानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन विहित किशी घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का किसी प्रकार दुरूपयोग किया है; या
- (घ) व्यवहारी इस अधिनियग या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियग 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन माल के क्रय या विक्रय पर कर के भुगतान का वितथी रहा हो;
- (ङ) व्यवहारी नै इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंधन करके राजस्व क्षति की हो।

स्पष्टीकरण:—िकसी व्यवहारी के संबंध में 'िर्धात का गुख्य कारबार' का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जिसका केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भाल के निर्धात के प्रक्रम में किसी कर अविध के लिए विक्रय का कुल व्यापारावर्त—

- (कं) राज्य के भीतर
- (ख) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर गाल के निर्यात के प्रक्रग में; और
- (ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में सगस्त माल के विक्रय के कुल व्यापारवर्त का पचारा प्रतिशत से अधिक है।

(दो) जहां कोई प्रार्थना पत्र अपूर्ण हो वहां उस प्रार्थना पत्र के पूर्ण होने के दिनांक को प्रार्थना पत्र का दिनांक समझा जाएगा।

- (2) यदि कर निर्धारण किये जाने पर उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत अनित्तम प्रतिसंदाय अधिक हो गया हो तो अधिक प्रतिसंदाय की गई धनराशि व्यवहारी से अनित्तम प्रतिसंदाय के दिनांक से प्रारम्म होने वाली और धनराशि के संदाय के दिनांक को समाप्त होने वाली अविध के लिए व्यवहारी से देय कर के रूप में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।
- (3) यदि प्रार्थना पत्र नियमानुसार नहीं है या अन्तर्विष्ट विशिष्टियां गलत है, तो इसको लिखित सकारण आदेश पारित करते हुए अस्वीकार किया जाएगा और व्यवहारी को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

प्रतिबंध यह है कि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए विना प्रार्थना पन्न अरवीकार नहीं किया जायेगा।

- (4) उपघारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई औद्योगिक इकाई तत्सगय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी राक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा रूगण द्योषित की गयी हो वहाँ इस धारा के अंतर्गत अनन्तिम प्रतिसंदाय अगुझात किया जाएगा. यदि ऐसी औद्योगिक इकाई का यह समाधान हो जाए कि ---
 - (क) रूग्ण इकाई पुनर्वास पेकेज सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण से अनुमोदित हो,
- (ख) अधिनियम की धारा 71 के अध्यधीन राज्य सरकार ने ऐसी इकाई की बकाया को अस्थिगित किया हो.
- (ग) बकाया आस्थिगित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया हो।

22—गूल अधिनियम की घारा 42 में,—

घारा ४२ क। रांशोधन

- (क) अपधारा (3) में खण्ड (क) के स्थानः पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—
- (क) ऐसी औद्योगिक इकाई जो पूर्ववर्ती अधिीयम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन विनिर्मित माल के विक्रय के अधित पर या माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपेक्षित किसी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपमोज्य स्टोर, पेट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक सामग्री या ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित माल की पैकिंग हेतु अपेक्षित माल के क्रय के आवर्त पर या क्रय/विक्रय दानों के आवर्त पर कर की दर में छूट का लाग या कर की दर में कमी का लाभ प्राप्त कर रही है या ऐसा लाग या कमी स्वीकृत की गयी है, और

(एक) जिसकी कर की दर में छूट या कमी की सुविधा पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके अधीन जारी अधिसूचना के अधीन यथा उपबंधित स्थिर पूंजी विनिधान पर आधारित हैं; या

- (दो) राज्य सरकार से या राज्य सरकार के रवामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम या उपक्रम से क्रय की गई औद्योगिक इकाई और जिसे पूर्व वर्ती अधिनियम के अधीन कर की दर में कमी या छूट प्रदान की गई है। किमश्नर को विहित प्रारूप और विहित रीति से हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकती है।"
- (ख) उपधारा (4) में शब्द 'कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाम ले रही औद्योगिक इकाई' के खान पर शब्द 'कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाम ले रही या अनुदरा लाम वाली औद्योगिक इकाई' रख दिए आयेंगे।
 - (ग) उपधारा (४) के पश्चात् निग्निलेखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात्--
 - "(4-क) इस अधिनियग के प्रारम्भ होने के दिनांक के पहले क्रय के आवर्त पर कर से छूट का लाम ले रही या अनुवत्त लाम वाली औधोगिक इकाई निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने पर विहित रीति से कर अविध की विवरणी के साथ संवत्त वस्तावेजों में घोषित आंकड़ों के आधार पर संगणित अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी के रूप में छूट की हकदार होंगी;
 - (क) औद्योगिक इकाई उपधारा (3) के अधीन यथा उप बन्धित कमिश्नर द्वारा जारी विधि मान्य हकदारी प्रमाण पत्र रखना होगा।
 - (ख) वापरी की धनराशि सुरांगत कर अवधि के दौरान अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बरावर धनराशि से अधिक नहीं होगी;
 - (ग) वापसी की धनराशि धारा 40 के उपबंधों के अध्यधीन होगी सिवाय इसके कि उक्त धनराशि रवीकृत कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी:
 - (ध) हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि या अवधि दोनों में रो. जो भी पहले हो, की समाप्ति पर वापसी की सुविधा समाप्त हो जाएगी;
 - (ङ) वापसी के रूप में कर से छूट की सुविधा कच्चे माल प्रसंस्करण रामाग्री, उपभोज्य स्टोर, पेट्रोल या डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक, हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित या वर्णित माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए या विनिर्मित माल के पैकिंग में अपेक्षित के संबंध में ही उपलब्ध होगी:
 - (च) गाल के क्रय के आवर्त पर कर वापसी के रूप में कर से छूट की धनराशि की हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित या वर्णित कुल धनराशि में से कटौती कर ली जाएगी;
 - (छ) औद्योगिक इकाई ने किसी भी रूप से कर से छूट की सुविधा का युक्तपयोग नहीं किया है।

स्पष्टीकरणः— 'अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट' का तात्पर्य कर अवधि की विवरणी में घोषित आंकड़ों के आधार पर संगणित अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से है जहां औद्योगिक इकाई पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन छूट का लाभ ले रही थी।

- (ध) उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा अर्थात:—
 - '(क) ऐसे माह, जिसं। व्यवहारी शुद्ध संदेय कर जमा के साक्ष्य सिहत संगत कर अविध की विवरणी दाखिल करता है, के अंतिम दिनांक से 30 दिन की अविध के भीतर वापसी योग्य पायी गयी घनराशि को वापस कर दिया जाएगा। जहां कर अविध की विवरणी पूर्ण नहीं है और व्यवहारी विवरणी की अपेक्षाओं को कर अविध की विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित दिनांक से बाद के दिनांक को पूर्ण करता है, तो ऐसे दिनांक को कर अविध की विवरणी दाखिल करने का दिनांक माना जाएगा।'

- (ङ) उपधारा (৪) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी:--
- (8) औद्योगिक इकाई जो उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कर आस्थगन की स्विधा का लाग ले रही है या उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वापसी की सुविधा का लाभ ले रही है, कर बीजक जारी करने तथा धार। 13 के उपबंधों के अध्यधीन इनपूट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी। विक्री और खरीद दोनों पर वापसी की सुविधा का लाग ले रही औद्योगिक इकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी जब हकदारी प्रमाण पत्र में वर्णित माल की बिक्री के विक्रय धन पर देय शुद्ध कर की गणना हो रही हो।"
 - (च) उपधारा (13) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी. अर्थात:--

(14) लेखों की संवीक्षा करने पर या पश्चातवर्ती अन्वेषण पर यह पाया जाए कि कर अवधि की विवरणी के साथ प्रस्तृत आंकड़े गंलत पाए जाएं या विश्वासं योग्य न हो या अभिलेख की वास्तविक सामग्री पर आधारित न हों, तो धारा 54 के उपबंघों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, वापस किए गए अतिरिक्त धंनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के साथ, वापसी के दिनांक से जगा करने के दिनांक तक, कर निर्धारण प्राधिकारी. से प्राप्त नोटिस के 30 दिन के भीतर जगा किया जाएंगा, ऐसा करने में विंफल होने पर वापस की गई अतिरिक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी- "

23-मूल अधिनियम की धारा 48 में,-

धारा 48 का संशोधन

- (क) उपधारा (1) के खण्ड (2) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएंगा, अर्थातं:--
 - (तीन) जो किसी कारबार स्थल गाड़ी जलयान या अन्य किसी भवन में या स्थान पर पाये जायं और ऐसे रखे गये माल से संबंधित यथास्थिति कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से संबंधित अन्य किसी अभिलेख में, स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां पर उक्त सम्व्यवहार हुआ है में सुसंगत समय पर प्रचलित गाल के गूल्य से पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तंक अवमूल्यन करापवंचन की मंशा से किया गया है।"
- (ख) उपधार। (5) में शब्द, "उपधार। (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है।" के स्थान पर शब्द "उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां उक्त साध्यवहार हुआ है, में सूसंगत सगय पर प्रचलित माल के मूल्य से करापवंचन की मंशा से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक का अवमूल्यंन किया गया हो' रख दिये जायेंगे।

24-मूल अधिनियम की धारा 52 में शब्द और अंक "धारा 51" के स्थान पर शब्द और धारा 52 का प्रक "धारा 50" रख दिये जाएंगे।

संशोधन

25-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में

धारा 54 का संशोधन

(क) तालिका में.--

(एक) क्रमांक 5 और 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रत्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थातः---

	प्रविष्टिया क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात्:	
1	2	3
5	जहां व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार	गाल के गूल्य का 40
	(एक) कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में	प्रतिशत
	विफल हो गया हो या जानबूझ कर जारी न किया हो;	
	या;	
	(दो) इस अधिनियग के अधीन कर योग्य गाल का क्रय	
	करते समय जानबूझ कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
	से प्राप्त नहीं किया हो; या	
	(तीन) क्रथ बीजक जारी नहीं किया है।	
15	जहां यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति,	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत
	(एक) माल के राज्य से होकर गुजरने हेतु प्राधिकार	
	पत्र प्राप्त करने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित	
	करने में विफल रहता है कि माल का तात्पर्य राज्य के	
	बाहर व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदान से है; या	
	(दो) राज्य से होकर गाल के गुजरने हेतु प्राधिकार पत्र	
	प्राप्त करने के दौरान माल को राज्य से बाहर ले जाने	
	के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा	
	माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु	
	ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में	
	विफल रहता है; या	
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या धाहन	
	प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए	
	प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले	
-	जाता है; या (चार) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार होते हुए, राज्य	
	के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए	
	माल की रसीद तैयार करता हो;	
(दो) क्रमांक	11, 12 एवं 14 की प्रविष्टियों के रतम्भ 3 में उपरांजात	होने वाले शब्द "प्रकटित
मूल्य" के स्थ	थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाएगा।	
(तीन) क्रमां अर्थात्:–	क 21 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रतः	भवारं बढ़ा दी जाएंगी,
21—क	जहां व्यवहारी ने गाल के क्रय के आवर्त पर संदत्त या	कर की धनराशि र
	संदेय कर की धनराशि को, माल की पुनः बिक्री पर या	अन्धून किन्तु कर के
	ऐसे माल के प्रयोग से निर्मित माल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया हो।	तीन गुणा की धनराशि से अनिधक धनराशि
		जिसे गाल के विक्रय
		गूल्य में जोड़ा गया *
		है।

1	2	3
21-ख	-जहां यथास्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से सुसंगत समय में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहाँ समव्यहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो।	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत

(ख) स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) व (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्:—

(दो) यदि कर बीजक, विक्रय बीजक या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित या उल्लिखित माल के मूल्य का स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यवहार हुआ हो, में, सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक अवमूल्यन हुआ है तब स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां सम्व्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय में प्रचलित अनुमानित मूल्य, ऐसे माल का गूल्य समझा जायेगा।

(तीन) यदि माल मूल्य, कर बीजक, विक्रय बीजक या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित अथवा उल्लिखित नहीं है तो स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित अनुमानित मूल्य, ऐसे माल का मूल्य समझा जाएगा।

26—मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना" के स्थान पर शब्द "किमशनर" रख दिया जाएगा।

ार। इस धारा 56 का संशोधन

> धारा 57 का संशोधन

27-मूल अधिनियंग की धारा 57 में,-

- (क) उपधारा (1) में, शब्द "एक अधिकरण" के स्थान पर "एक अधिकरण, जो वाणिज्य कर अधिकरण के रूप में जाना जाएगा" रख दिथे जाएंगे।
- (ख) उपधारा (12) में खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात: :-
 - "(ख) धारा 48 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन दिये गये निदेश के विरुद्ध अपील दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनी एवं निरस्तारित की जाएगी।"
- (ग) धारा 56 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनी और निरस्तारित की जाएगी।"

28—मूल अधिनियम की धार। 59 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात:—

घारा 59 का संशोधन

"(5) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित को छोड़कर कमिश्नर द्वारा इस धारा के अधीन किया गया विनिश्चय धारा 57 और 58 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा और सभी कर निर्धारक प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा।"

29—मूल अधिनियम धारा 60 में शब्द और अंक "उपधारा (1); (2) या(7)" के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1) या उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा ६० का संशोधन

30—मूल अधिनियम धारा 63 में, उपधारा (3) में शब्द "विहित्त" के स्थान शब्द "राज्य सरकार द्वारा अवधारित" रख दिये जायेंगे।

धारा 63 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात :--

धारा ६४ कः संशोधन

(2) "याचिका विहित प्रारूप में एवं विहित रीति से पांच हजार रुपथे फीस जमा करने के संतोषजनक प्रमाण, एवं कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत न किये गये अपने आवर्त के पूर्ण प्रकटीकरण के साथ उस आवर्त पर संदेय कर की अतिरिक्त धनराशि और ऐसी अन्य विशिष्टियां, व्यवस्थापन आयोग के समक्ष मामले का निपटारा करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी:—

प्रतिबंध यह है कि ऐसी याचिका तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक याचिका में प्रकटित विक्रय या क्रय के आवर्त पर कर की धनराशि का गुगतान न कर दिया जाय और उस निगित्त प्रभाण पत्र संलग्न न कर दिया जाय।"

धारा ६५ का रांशोधन

32--मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (18) के पश्चात निम्नलिखित रुपधाराएं बढा दी जायेंगी, अर्थात:-

रांशोधन

(18-क) जहां व्यवस्थापन आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लियत रहने के दौरान व्यवस्थापन आयोग का यह मत हो कि राजस्व हितों को सुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक हो वहां आयोग राजस्व क्षति को पूरा करने हेत नियत सगय में आयोग द्वारा निर्धारित रीति से पर्याप्त रूप में अपेक्षित प्रतिभूति जगा करने का आदेश दे एकता है।

(18-ख) व्यवस्थापन आधान के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड राहिता 1860 की धारा 196 के प्रयोगार्थ और धारा 193 और धारा 228 के अर्थातन्तर्गत च्यायिक कार्यवाही समझे जायेगी।

धीरा ७६ की संबोधन

अधात -

(ख)

33-मूल अधिनियम की घारा 🕾 के स्थान पर निम्नालिखित घारा रख दी जायेगी

78 (1) राज्य राष्ट्रार अधिभूचना द्वारा, अधिभूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने ्रभः परिषद का स्थापना करेगी जिसे जन्तर प्रदेश राज्य कर परिषद

उसके अधान उसे प्रयत्त कृत्यों का संपादन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

के रूप में ल्हाम जायमा जो इस अधिनियम या तद्यीन बनाई नियमावली के द्वारा या प्रमुख राधिया राज्य सरकार, दाणिज्य कर विभाग (d) पदेन अध्यक्ष

पदेन शदस्य

(4) अपर कमिश्नर (विधि) वाणिष्य कर, उत्तर प्रदेश

क्रमिश्नर, वाणिस्य कर, उत्तर प्रदेश

पदेन सदस्य

(ਬ) अपर किमश्नर (प्रशिक्षण) वाणिउव कर, उत्तर प्रदेश पदेन सदस्य

संयुक्त कुगिश्नर (शोध) वाणिका कर मुख्यालय, लखनऊ (&)

सदरय सचिव

राज्य रारकार के प्रमुख सचिव एवं विधि मरामर्शी द्वारा नाम निर्दिष्ट (ਬ) सदरय

अपर विधि परामशी प्रमुख राचिद, वित्त विधान ७०भर प्रवेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट (B)

- विशेष राजिव की शंकी से अनिम्म विस्त दिगाग का कोई अधिकारी
- राज्य सरकार द्वारा गामनिदिण क्रकिए जो किसी विश्वविद्यालय में। सदस्य (ভা) अर्धशास्त्र का आचार्य रहा हो।
- राज्य रारकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो अधिकरण का सदस्य सदस्य (31) या वाणिष्य कर विभाग में अपर कमिश्नर रहा है।
- मान्यता प्राप्त व्यापार संघ के पदघारियों में से दो व्यक्ति जिन्हें सदस्य (의) राज्य रारकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) परिषद कर संग्रह प्रणाली, कर की दर में परिवर्शन नियमावली और प्रक्रियाओं देशों और ऐसे अन्य विषयों की घोषणा के संबंध और योजनाओं के प्रख्यापन अधिसूचनाओं, में जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर उर्र सौंपे. शीर्ष परामर्शदान्नी निकाय होगी।
- (३) एथ्यारा (1) के खण्ड (ज) स (ज) में सन्दर्भित सदस्य राज्य संस्कार द्वारा समय रस्तय पर क्या अल्बापित सुविधा या लाम और पारिश्रमिक पाने के इक्टार होंगे।

_{जन-मृत्र} अधिनियम की धारा ४: न, उपभारा (2) में खण्ड (छ) न शब्द निर्दरीत अधिनियम् की धारा बन्धा के अधीन कार का पुगतान से छूट का लाग एटाने वाली विनिर्माण इळान्याः या इव इया के स्थान वर शब्द विभिर्माण इजाइयां एख दिय आएग -

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 को माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित व्यवस्था को प्रारम्भ करने हेतु उपवंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उस्त अधिनियम को लागू करने में अनुभव की गई कतिपय परेशानियों और कमियों की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय:-

- (क) परिवहनकर्ता को व्यवहारी की परिभाषा से निकाला जा रहा है;
- (ख) किसी विद्युत प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई. जिसका समुच्चय पूंजी विनिधान 1000 करोड़ रुपये या अधिक हो, को ऐसी विक्री के कर दायित्व का जिम्मा लेने, जो इकाई को की जाती है, अनुमत करने और ऐसी इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से अधिस्थगन देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा रहा है;
- (ग) किंगिश्नर के आदेशों के अध्यधीन रहते हुये राज्य में माल के आयात पर कर या शास्ति के बदले में समाधान धनराशि, पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से स्वीकार करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी को प्राधिकृत किया जा रहा है;

व्यवहारी को इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य किया जा रहा है जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत के अतिरिक्त है जहां उसके द्वारा विक्रय रो भिन्न रूप में राज्य के वाहर माल का परेषण या अंतरण किया जा रहा है;

- (ङ) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन विधिमान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीकरण का आवेदन देने के लिए समग्र को बढ़ाया जा रहा है;
- (च) आकस्मिक व्यापारी को स्वयं का पंजीकरण करने, प्रारूप प्राप्त करने, कर का भुगतान करने आदि की अनुमति देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है;
- (छ) जहां विक्रय अर्न्सज्यीय व्यापार या वाणिज्य या राज्य के वाहर के दौरान हो या भारत के बाहर निर्यात या भारत में आयात के दौरान हो वहां स्रोत पर कर की कटौती समाप्त की जा रही है;
- (ज) किम्इनर की पूर्व अनुमित से किमपय गामलों में प्रतिसंदाय को रोकने के लिए निर्धारक प्राधिकारी को प्राधिकृत किया जा रहा है;
- (आ) अधिनियः के आरम्भ से पूर्व पूंजी विनिधान पर आधारित क्रय के आवर्त पर कर से छूट का लाभ प्राप्त कर रही या ऐसी छूट की स्वीकृत प्राप्त आँद्योगिक इकाइयों को कतिपय शर्तों को पूरा करने पर अजित इनपुट टैक्स के प्रतिसंदाय के रूप में छूट का हकदार बनाया जा रहा है.
- (अ) माल के मृत्य से पचास प्रतिशत सीमा से अधिक माल के अमूल्यन को अभिग्रहण और शारित का दायी बनाया.जा रहा है;

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुर स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, सचिव।

No. 497(2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)7/2009 Dated Lucknow, February 28, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 338 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhinivam Sankhya 11 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 2009.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2009

D Acresia 11 Oca

(U.P. ACT No. 11 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislaur]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2009.
- (2) Clauses (d) and (e) of section 2, section 3, section 5 and section 6, clauses (f), (g) and (h) of section 8, section 10, clause (a) of section 11, section 14, sub-section (17), of the principal Act inserted by section 16, section 17, 18, 22, 24, 29 and 34 shall be deemed to have come into force on January 1, 2008 and the remaining provisions shall come into force at once...

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 5 of 2008

- 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, -
 - (a) in clause (h) for sub-clauses (ix) and (x) the following sub-clauses shall be substituted, namely:-
 - "(ix) a railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable, or the owner or person incharge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post;
 - (x) an owner or person in-charge of a go down, cold storage or warehouse, who stores commercial goods, other than those of transporters except those referred to in sub-clause (ix):"
- (b) in clause (p) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:—
 "Provided that tax paid or payable in respect of transfer of right to use any goods shall not form part of the input tax:"
- (c) in clause (ad), in the Explanation after clause (iv) the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(v) Tax charged or chargeable shall not form the part of the sale price;
 - (vi) Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post factogrant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded from the sale price;"
 - (d) for clause (ag) the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(ag) "tax" means a tax leviable under this Act, on the sale of purchase or both, as the case may be, of goods other than news paper; and shall include.—
 - (i) Composition money either at an agreed rate or in lump sum, as the case may be, payable, in lieu of actual amount of tax due on turnover of sales, in accordance with provisions of section 6 or section 6 or

- (ii) amount of reverse input tax credit:"
- (e) for clause (ah) the following clause shall be substituted, namely:
- "(ah) "taxable dealer" means a dealer who is liable to pay tax under this Act;"
- (f) for clause (at) the following clause shall be substituted, namely:
- "(at) "Web Site" means World Wide Web of the Department of Commercial Taxes of Uttar Pradesh with such domain "up.nic.in" and with address "http://comtax.up.nic.in" or any other website notified by the State Government."
- 3. In section 3 of the principal Act.

Amendment of section 3

(a) in sub-section (3) in the table for the entries appearing at serial 8, the following entries shall column-wise be *rubstituted*, namely:

(1)	(2)	(3)
"8 (i)	operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable; or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit	First date on which any taxable goods are found in the possession or custody.
(ii)	check post, an owner or person in-charge, of a godown or cold storage or warehouse other than a transporter except those covered under clause (i) who fails to disclose the name and address of the owner of any taxable goods stored in such godown, cold storage or warehouse other than transporter except those covered under clause (i) or if discloses such name and address of owner of taxable goods is found bogus, forged or not verifiable,"	

(b) in sub-section (4) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that where a dealer carries on business during part of an assessment year, taxable quantum shall be partial amount of five lakh rupees which shall be computed on pro rata basis and for this purpose part of the month shall be counted as a full month."

- (c) after sub-section (10) the following sub-section shall be inserted, namely:
- "(11) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government may permit any power project industrial unit engaged in generation, transmission and distribution of electrical energy, having aggregate capital investment of Rs. 1000 crore or more to own the tax liabilities of a dealer of such sales as are made to that unit."
- 4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3) for the words "is not entitled to realize" the words "is not entitled to realize or has not realized if entitled" shall be substituted.

Amendment of section 4

An indiment of section 5

- 5. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1).
- (a) for the words "any taxable goods" the words "any taxable" shall in substituted;
- (b) in clause (i) for the words "other than" the words "goods other than" shall be substituted;
- (c) for the words "shall be liable to pay tax on" the words "shall be liable to pay tax levied on" shall be *substituted*.

Amendment of section 6

- 6. In section 6 of the principal Act,--
- (a) in sub-section (1) for the first proviso the following proviso shall be substituted, namely:

"Provided that in the case of a dealer not being a dealer executing works contract, who carries on exclusive business of re-sale of goods within the State after their purchase from a registered dealer within the State and whose turnover on sale of such goods, for any assessment year, does not exceed fifty lakh rupees or his turnover, for the assessment year preceding that assessment year, has not exceeded fifty lakh rupees, the State Government may notify a rate percent on sale of such goods. Different rates may be notified for different goods:"

- (b) For sub-sections (2), (3) and (4) the following sub-sections shall be substituted, namely:
- "(2) Any dealer, who opts for payment of composition money under this section, shall not be entitled to claim credit of input tax under section 13 increspect of purchase of goods which are re-sold by him during the period in which he is liable to pay composition money under this section or in respect of purchase of goods which have been used, consumed or utilized in manufacture or processing of goods which are sold by him during such period and where the dealer has claimed credit of input tax in respect of any such goods, the same shall stand reversed and the dealer shall pay such amount of reverse input tax credit in accordance with the provisions of section 14.
- (3) Any dealer who opts for payment of composition money under this section shall not issue any tax invoice and shall not realize any amount from the purchaser by way of tax or by giving it a different name or colour.
- (4) A dealer who makes purchase of any goods from a dealer, who has opted for payment of composition money under this section, shall not be entitled to claim credit of input tax in respect of goods purchased from such dealer."
- (c) After sub-section (4) the following sub-section shall be inserted," namely:
 - "(5) Where the turnover of sales, in case of a dealer who has opted to pay composition money under first proviso of sub-section (1) exceeds Rs. fifty lakh, he shall be liable to pay tax at the rate provided under section 4 on and from the day the turnover exceeds Rs. fifty lakh.

Explanation: -- For the purposes of sub-sections (1) and (5) where a dealer carries on business during a part of an assessment year, annual turnover shall be partial amount of fifty lakh rupees which shall be computed on pro rata basis and for this purpose part of a calendar month shall be counted as a full month."

7. After section 6 of the principal Act the following section shall be inserted, gamely:

Insertion of new section 6-A Compounding of tax and penalties in certain cases

- "6-A.(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, but subject to the directions of the Commissioner, the assessing authority may accept from any person other than registered dealer by way of composition money either in lump sum or at an agreed rate in lieu of tax or penalty leviable or imposable under this Act, where any person—
- (a) imports or attempts to import or abets the import of any goods, in contravention of the provisions of section 50 or section 51 with a view to evading payment of tax on sale of,-
 - (i) such goods; or
 - (ii) goods manufactured, processed or packed by using such goods; or
- (b) transports, attempts to transport any taxable goods in contravention of any provision of this Act; or
- (c) carries taxable goods in a vehicle or vessel and such goods has not been shown in the accounts, registers and other documents maintained in regular course of business.
- a sum not less than the amount of tax involved under any provision of this Act but not more than three times of the amount of such tax or forty percent of the value of goods involved whichever is higher.
- (2) The provision of sub-section (1) shall not apply to those persons who do not disclose, before the assessing authority, the goods contained in the vessel or vehicle.
- (3) Any person who has paid composition money under sub-section (1) shall not for the same goods be required to.—
 - (a) furnish the return of the tax period under section 24;
 - (b) take registration under section 17;
 - (c) be assessed under any provision of this Act;
 - (d) be liable to tax under section 3;

Explanation-For the purposes of this section the assessing authority includes an officer not below the rank of Commercial Tax Officer empowered to exercise the powers under sections 45 or section 48 or posted at the check post."

8. In section 13 of the principal Act,-

...

Amendment of section 13

(a) in sub-section (1) in clause (a) in the table for the entries appearing at serial no. 3 the following entries shall column-wise be substituted, namely:—

(i) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or
(ii) used in manufacture of any taxable goods except non-vat goods and such manufactured goods are transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale.

2

Partial amount of input tax, which is in excess of four percent of the purchase price on which the dealer has paid tax either to the registered selling dealer or to the State Government"

Amendment

section 15

(b) in sub-section (1) for the Explanation the following Explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation: For the purposes of this sub-section, -

- (a) re-sale of goods includes transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract.
- (b) goods required for use in manufacture of any goods shall not include goods required for running of captive power plant."
- (c) for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted, namely:
- "(3) (a) Where purchased goods are to be used or disposed of partially for the purpose specified in clause (a) of sub-section (1) or otherwise, the input tax credit may be claimed and be allowed proportionate to the extent they are used or disposed of for the purposes specified in such clause.
- (b) Subject to the provisions of this section where during process of manufacture of var goods, exempt goods and non var goods except as by product or waste product are produced, the amount of input tax credit may be claimed and be allowed in proportion to the extent they are used or consumed in manufacture of taxable goods other than non var goods and exempt goods.

Explanation:—For the purpose of this sub-section the "exempt goods" shall include taxable goods other than non-vat goods, which are disposed of otherwise than by way of sale within the State or in the course of inter State trade or commerce or sale in the course of export of goods out of the territory of India or sale out side the State."

- (d) in sub-section (4) for the words "tax payable by him" appearing at the end, the words "tax payable by him and possesses the proof of payment of tax on the turnover of purchase liable to tax" shall be *substituted*.
- (e) in sub-section (7) after sub-clause (ii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(iii) such goods are for transfer of right to use such goods."
- (f) sub-section (9) shall be renumbered as clause (a) thereof and after clause (a) as so renumbered the following clause shall be *inserted*, namely:
 - "(b) Where works contract is partially executed by a sub-contractor, the amount of input tax credit, in respect of purchase of goods involved in the execution of works contract shall be claimed by and be allowed to the contractor or such sub-contractor to the extent of purchase of goods by them."
- (g) in sub-section (11), in the proviso for the word "Ordinance" the word "Act" shall be *substituted*.
 - (h) in the Explanation,-
 - (i) for the word and figure "Explanation (1)" the word "Explanation" shall be substituted.
 - (ii) after clause (iii) the following clause shall be inserted, namely :-
 - "(iv) where during the process of manufacture of any vat goods any non-vat goods are produced as by-product or waste-product, it shall be deemed that purchased goods have been used in the manufacture of vat goods. Similarly, where during the process of manufacture of any non vat goods any vat goods are produced as by-product or waste-product, it shall be deemed that purchased goods have been used in the manufacture of non vat goods."
- 9. In section 15 of the principal Act, in sub-section (3) for the existing proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:

"Provided that in case of a dealer whose main business is to sell goods in the course of the export of the goods out of the territory of India, the assessing authority shall allow provisional refund of excess amount of input tax credit for any tax period in accordance with the provisions of section 41."

10. In section 17 of the principal Act,-

Amendment of section 17

- (a) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(5) (a) Every dealer who holds a valid registration certificate issued under the erstwhile Act and is liable to tax under this Act, shall submit to the registering authority or the assessing authority, as the case may be, an application in the prescribed form and in the prescribed manner, for issue of registration certificate by such authority relating to validity of such certificate under this Act, within a period of fifteen months from January 1, 2008:

Provided that if the assessing authority or the registering authority is satisfied that sufficient reasons exist preventing the dealer to submit the application within the said period, he may extend the period not exceeding one month, as he thinks fit on the application of the dealer who has deposited late fees at the rate of Rs. five hundred per month or part thereof.

- (b) If a dealer who holds the registration certificate issued under crstwhile Act, fails to submit the application to the assessing authority or registering authority for validation and issue of registration certificate under this Act, within the period referred to in clause (a) in prescribed form and manner, the registration certificate shall cease to have effect"
- (b) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(6) (a) No railway container contractor, air cargo operator, courier service provider, or owner or person in-charge of a godown, cold storage or warehouse other than transporter who stores commercial goods, shall operate its business of taxable goods in the State without being registered with the registering authority in such manner as may be prescribed. Any operator of such business shall apply within prescribed perod for his registration to the registering authority in the prescribed manner;
 - (b) a railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, an owner or person in-charge of a godown, cold storage or warehouse other than transporter or carrier, who stores commercial goods shall maintain such records as may be prescribed;
 - (c) every transporter or carrier who is covered under the Carriage By Road Act, 2007 shall furnish to the assessing authority, such informations and documents as may be prescribed."
- (c) for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - '(9) Subject to the provisions of sub-section (5) the registration certificate issued under the erstwhile Act and validly held under this Act shall be valid with effect from the date of commencement of this Act."
- (d) for sub-section (13), the following sub-section shall be substituted namely:-

- "(13) During the period of suspension of registration certificate under sub section (12), the dealer shall be treated as unregistered dealer. However if the registering authority himself by an order in writing drops the proceeding of cancellation or the order of suspension passed by the registering authority is set aside by any competent court or authority under this Act, the dealer shall be treated as registered dealer during such period."
- (e) in sub-section (14), in Explanation (1) for the words "imposable or any prosecution for an offence under this Act" the words "imposable under this Act", shall be *substituted*:

Amendment of section 21

- 11. In section 21 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (2), in the proviso, in Hindi version for the words "क्रा लाख" the words "पच्चीश लाख" shall be *substituted*.
- (b) in sub-section (13) for clause (d) the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(d) in the case of a dealer who has opted for payment of composition money under section 6.
 - (i) goods held in opening stock on the date on which provisions of section 6 has become applicable and;
 - (ii) goods held in opening stock on the date on which provisions of section 6 ceases to apply;"
 - (c) in sub-section (16) the proviso shall be omitted.
 - (d) in sub-section (17) in the Explanation clause (iii) shall be omitted.

12. In section 22 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

- (a) for the words "tax or a lump sum" the words "composition money" shall be substituted.
- (b) for the words "a tax invoice in the prescribed form and manner containing such particulars as may be prescribed" the words "tax invoice containing such particulars as may be prescribed including name and complete address and Taxpayer's Identification Number, if any, of the person purchasing the goods" shall be substituted.
 - (c) the provisos shall be omitted.
- (b) (a) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:
 - "(3) All dealers except as provided in sub-section (1), shall issue sale invoice to the purchaser in such manner and containing such particulars as may be prescribed.

Explanation—in this sub-section sale invoice means any invoice in the nature of bill, invoice, cash/credit/memo containing such particulars as may be prescribed."

- (b) in sub-section (4) for the words "a bill or cash memo" or the words "at cash memo or bill" wherever occurring the words "sale invoice" shall be substituted.
- (c) for sub-sections (5) and (6) the following sub-section shall be substituted: namely:
 - (5) Every dealer referred to in sub-section (1) shall charge amount of tax payable separately on every tax invoice. However, the dealer referred in sub-section (3) may charge tax separately.

Amendment of section 22

- (6) Office copy of tax invoice, sale invoice as the case may be, prepared by the selling dealer and copies of tax invoice, sale invoice, as the case may be, received by the purchasing dealer shall be preserved by them for the period provided under sub-section (3) of section 21
- 13. In section 23 of the principal Act,-

Amendment of section 23

- (a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) (a) No person who is not a dealer registered under this Act, shall in respect of any sale or purchase made by or through him, realize from any person any amount by way of tax on sale or purchase of goods or any amount in lieu of tax on sale or purchase of goods by giving it different name or colour and no dealer registered under this Act, shall in respect of any sale or purchase made by or through him, realize from any person, other than a person to whom goods are sold by him, any amount by way of tax on sale or purchase of goods, or any amount in lieu of tax on sale or purchase of goods by giving it different name or colour;
 - (b) Where tax is payable on sale or purchase of goods on any turnover by a dealer including a commission agent or any person mentioned in clause (h) of section 2 registered under this Act, such dealer may recover an amount, equivalent to the amount of tax on sale or purchase of goods payable, from the person to whom any such goods is sold by him, whether on his own account or on behalf of his principal."
- (b) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(4) No dealer shall include the amount of tax already paid on the purchase of goods in the sale price of such goods resold or goods manufactured by using such goods."
- 14. In section 24 of the principal Act, in sub-section (9) for the word "returns" wherever occurs the word "information and documents" shall be *substituted*.
- 15: After section 26 of the principal Act the following section shall be inserted, namely:-
 - "26- $\Lambda(1)$ Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, a casual trader shall-

Amendment of section 24

Insertion of new section

26-A Special provision relating to casual traders

- (a) inform the assessing authroity at least three days before beginning of his business in Uttar Pradesh, such particulars of his business in Uttar Pradesh, such particulars of his business in such form and in such manner as may be prescribed:
- (b) deposit security in cash or in the form of bank draft, of such amount as may be fixed by the assessing authority which shall not exceed estimated liability to pay tax for such period for which the casual trader is conducting the business in Uttar Pradesh;
 - (c) pay tax daily on sales made during the previous day:
- (d) furnish to the assessing authority next day after the conclusion of his business in Uttar Pradesh, a return in the prescribed form and manner and
 - (e) not issue any tax invoice.
- (2) The assessing authroity shall, after verification of information furnished to him under clause (a) and receiving the security under clause (b) of sub-section (1), shall register the casual trader.

- (3) After registration of casual trader, the assessing authority shall issue the required forms to him for use as the declaration or certificate referred to in section 50 and 51 of this Act for bringing goods for sale in Uttar Pradesh and the casual trader shall maintain complete account of the used forms and surrender the unused forms along with the return referred to in clause (d) of sub-section (1).
- (4) The assessing authority shall, after examining the return furnished by the casual trader under clause (d) of sub-section (1), the forms referred to in sub-section (3) and the accounts maintained by him including the sale invoicesissued, assess him to tax within one week and shall serve upon him a notice of assessment and demand and after adjusting any tax and any other dues payable under this Act, refund the balance amount of security to him in case security is deposited.
- (5) The casual trader shall pay immeditely the amount mentioned in the notice of assessment and demand.
- (6) On being satisfied that the amount due has been paid the assessing authority shall release the security or balance security, as the case may be.
- (7) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the taxable quantum referred to in section 3 in respect of a casual trader shall be nil.

Explanation:— In this section casual trader means a person who, whether as principal, agent or in anyother capacity under takes occasional transactions in the nature of business involving buying, selling, supply or distribution of goods or conducting any exhibition-cum-sale in Uttar Pradesh whether for cash, differed payment, commission, remuneration or other valuable consideration."

Amendment section 33

- 16. In section 33 of the principal Act, after sub-section (16) the following subsections shall be inserted, namely:-
 - "(17) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act and the rules made thereunder, the State Government, may grant moratorium from payment of admitted tax to a power project industrial unit, subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation: For the puroses of this sub-section "admitted tax" shall include the tax liability of other dealers owned by such unit under sub-section (11) of section 3.

(18) Where any goods has been seized by any competent authority for realization of tax or penalty leviable under this Act and such goods has been given in the custody of any person by such authority. If such person fails to return the goods to the authority in the same form and condition, an amount equal to the value of goods shall be recovered from such person as an arrear of land revenue."

Amendment of Section 34

- 17. In section 34 of the principal Act, after sub-section (13) the following sub-section shall be *inserted*, namely:-
 - "(14) No deduction under this section shall be made on the turnover of sale where such sale takes place-
 - (i) in the course of inter-State trade or commerce; or
 - (ii) outside the State: or
 - (iii) in the course of the export out of, or import into, the territory of India:"

18. In section 39 of the principal Act, in sub-section (1) in clause (b) in Hindi Version for the words "एक লোক" the words "पांच লাক" shall be substituted.

section 39

19. In section 40 of the principal Act, after sub-section (7) the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 40

- "(8) The amount refundable under the crstwhile Act may be adjusted against the amount of tax or penalty or any other dues under this Act."
- 20. After section 40 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion new section 40-A

"40A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or in any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or other authority, where after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer or the person concerned, the Commissioner is satisfied on the report of the assessing authority that,—

Withholding of refund in certain

- (a) the dealer has submitted false return of the turnover or has concealed particulars of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover or has prevented the assessing authority or any other competent authority from making inspection and examination of books, accounts or documents maintained or goods shown to be held in stock by such dealer or obstructed any competent authority in performing his functions under this Act; or
- (b) any purchase in respect of which input tax credit in any return has been claimed, is not verifiable; or
- (c) the dealer has obtained tax invoices without making actual purchase of goods; or
- (d) the dealer has failed to furnish any security demanded from him under any provision of this Act or the Central Sales Tax Act. 1956; or
 - (e) the circumstances exist involving fraud,

and where the Commissioner is of the opinion that if refund is allowed, it may not be possible to realize any amount of tax or penalty likely to be levied, he may permit the assessing authority to pass an order for withholding, as a security, such amount of refund as would be sufficient to cover the amount of tax or penalty or both, as the case may be, likely to be levied, for a period as may be determined by the Commissioner.

(2) Where the assessing authority finds that the circumstances menioned in sub-section (1) exist and sufficient material is available on the record, it shall send a report to the Commissioner along with the material for seeking the permission to withhold the amount of refund.

(3) The assessing authority shall complete the proceeding for assessment or penalty or both, pending before him within such period as may be determined by the Commissioner.

Provided that if the Commissioner is satisfied that the circumstances exist which would prevent the assessing authority to complete the assessment or penalty proceeding within the determined period, he may extend the period not exceeding 90 days.

(4) After the completion of the proceeding withheld amount shall be adjusted against demand created due to assessment or penalty proceeding and the balance if any shall be refunded along with interest at the rate of twelve percent per annum from the date on which refund has become due, in the manner provided under this Act and the rules made thereunder.

Explanation: For the purposes of this section refund includes the refund of input tax credit."

Amendment of section 41

21. For section 41 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"41 (1) Notwithstanding anything contained in section 40, in the case of a dealer, whose main business is to sell goods in the course of the export of the goods out of the territory of India, the assessing authority, upon receiving the return for a tax period and application for provisional refund along with the proof of export, pending audit and investigation to establish the correctness of the claim and consequent assessment, shall, allow provisional refund of the excess amount of input tax credit for such tax period on account of sale in the course of the export of the goods out of the territory of India, within thirty days from the date of receipt of such application:

Provided that if any amount of tax, fee or penalty or any other amount either under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act is due against such dealer the amount found refundable first shall be adjusted towards such amount of tax or fee or penalty, as the case may be, and excess, if any, shall be refunded to the dealer:

Provided further that, before granting refund, the assessing authority may require the dealer to furnish security of amount equivalent to amount of refund to its satisfaction where,

- (a) the dealer has been involved in tax evasion under this Act or erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act 1956; or
- (b) the dealer has obstructed or prevented the officers empowered under this Act in performing any of his functions or duties assigned to him under this Act; or

- (c) the dealer has misused in any way the declaration or the certificate prescribed under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act or under the Uttar Pradesh Tax on the Entry of Goods into Local Areas Act, 2007; or
- (d) the dealer is defaulter of the payment of tax on the sale or purchase of goods under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act; or
- (e) the dealer has violated any provision of this Act resulting in the loss of revenue.

Explanation-For the purpose of this section,-

- (i) 'main business of export' in relation to a dealer shall mean the dealer whose aggregate of turnover of sales in the course of export of goods outside the territory of India under subsections (1) and (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, for any tax period exceeds fifty percent of the aggregate of turnover of sale of all goods—
 - (a) within the State;
 - (b) in the course of export of goods out of the territory of India; and
 - (c) in the course of inter-State trade or commerce.
- (ii) where any application is incomplete the date of completion of that application shall be deemed to be the date of application.
- (2) If, on assessment, the provisional refund granted under subsection (1) is found to be in excess, then the excess amount of refund shall be recovered from the dealer along with interest at the rate of fifteen percent per annum and for the period commencing on the date of provisional refund and ending with the date of payment of the amount, as tax due from the dealer.
- (3) If the application is not in order or contains wrong particulars it shall be rejected by a speaking order in writing and the dealer shall be informed accordingly:

Provided that no application shall be rejected without affording the dealer an opportunity of being heard.

(4) Notwithstanding any thing contained in the first provise to sub-section (1) where any industrial unit has been declared sick by any competent court or authority constituted under any law for the time being in force, the provisional refund under this section shall be allowed if such industrial unit satisfied that.—

- (a) the package for rehabilitation of the sick unit has been approved by a competent court or an authority;
- (b) the Sate Government has deferred the arrear against such unit under section 71 and
- (c) the conditions imposed by the State Government for deferment of the arrear has been complied with."

Amendment of section 42

- 22. In section 42 of th principal Act,-
- (a) in sub-section (3), for clause (a) th following clause shall be substituted, namely;—
 - "(a) the industrial unit available or granted benefit of exemption from, or reduction in the rate of tax under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 on the turnover of sales of manufactured goods or turnover of purchase of any raw material, processing material, consumable stores, fuel other than petrol and diesel, lubricant required for use in manufacture of goods or in th packing of goods manufactured by such industrial unit or both, and
 - (i) whose facility of exemption or reduction in the rate of tax is base on the fixed capital investment as provided under the erstwhile Act or notification issued thereunder; or
 - (ii) an industrial unit purchased from the State Government or any corporation or undertaking owned or controlled by the State Government and to whom exemption or reduction in the rate of tax has been granted under the erstwhile Act may apply to the Commissioner for issue of the Certificate of Entitlement in the prescribed form and in prescribed manner."
 - (b) in sub-section (4) for the words "the industrial unit availing benefit of exemption from" the words "the industrial unit availing or granted benefit of exemption from" shall be substituted.
 - (c) after sub-section (4) the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(4A) The industrial unit availing or granted benefit of exemption from, tax on the turnover of purchase before the date of commencement of this Act shall be entitled for exemption by way of refund of Earned Input Tax Credit computed on the basis of data declared in the documents submitted along with the return of tax period in prescribed manner and on fulfilling the following conditions that.—

- (a) the industrial unit shall hold valid Certificate of Entitlement issued by the Commissioner as provided under sub-section (3);
- (b) the amount of refund shall not be more th; n an amount equal to input tax credit earned during relevant tax period;
- (c) the refund shall be subject to the provisions of section 40 except that the amount shall not be adjusted against the admitted tax liability,
- (d) the facility of refund shall cease on the day when the amount or the period mentioned in the Certificate of Entitlement, whichever is earlier,
- (e) the facility of exemption from, tax by way of refund shall be available only in respect of raw material, processing material, consumable stores, fuel other than petrol and diesel, lubricant, required for use in manufacture of goods or in the packing of manufactured goods mantioned or described in the Certificate of Entitlement.
- (f) the amount of exemption from the by way of refund on the turnover of purchase of goods, shall be deducted from the total amount mentioned or described in the Certificate of Entitlement.
- (g) the industrial unit has not misused the facility of exemption from tax in any manner.

Explanation: "Earned Input Tax Credit" means the amount of admissible Input Tax Credit computed on the basis of data declared in the returns of tax period where industrial unit was availing benefit of exemption under the erstwhile Act.

- (d) In sub-section (5) for clause (a) the following shall be substituted, namely ;-
 - (a) The amount found refundable shall be refuned within a period of 30 days from the last date of the month in which dealer files the return of relevant tax period. Where the return of tax period is not complete and dealer fulfils the requirement of return on a date later to the due date for filing of return of tax period, such date shall be deemed to be the date of filing of return of tax period."
- (e) for sub-section (8) the following sub-section shall be substituted, namely:
- "(8) The industrial unit availing the benefit of tax deferment as provided under sub-section(2) or availing the facility of refund as provided under sub-section (4), shall be

eligible to issue tax invoices and to claim input tax credit subject to provisions of section 13. The industrial unit availing the facility of refund on both sale and purchase, shall be eligible for claiming Input Tax Credit while computing net tax payable on the turnover of sale of goods described in the Certificate of Entitlement."

(f) after sub-section (13) the following sub-section shall be inserted, namely ;-

"(14) On scrutiny of account or subsequent investigation it is found that data furnished along with return of the tax period is found wrong or not reliable or based on no genuine material on record, without prejudice to the provisions of section 54, the excess amount refunded shall be deposited within 30 days of notice received from the assessing authority along with interest at the rate of 15 percent per amount with effect from the date of refund to the date of deposit. Tailing which the excess amount refunded shall be recovered as an arrears of land revenue."

Amendment of section 48 23. In section 48 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) which are found in any place business, vehicle, vessel or any other building or place, and such goods are accompanied by any tax invoice or sale invoice or any other document pertaining to value of goods, as the case may be, containing value of goods under valued to the extent more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in local market area where the said transaction had taken place, with intention to evade payment of tax."

(b) in sub-section (5) for the words "other document referred to in sub-section (1)" the words "other documents referred to in sub-section (1) of the goods are undervalued to the extent of more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the said transaction had taken place, with intention to evade payment of tax," shall be substituted.

Amendment of section 52

24. In section 52 of the principal Act for the word and figure "section 51" the word and figure "section 50" shall be substituted.

Amendment of section 54

25. In section 54 of the principal Act. in sub-section (1),-

(a) in the table,-

	(i) for the entries at serials 5 and 15 the following entries	
	shall column wise be substituted respectively, name	ely:-
1	2	3
"5	Where the dealer has,-	40% of the
	(i) failed to issue or has deliberately not issued a tax invoice or sale invoice; or	value of goods
	(ii) deliberately not obtained tax invoice inspite of being a registered dealer wirde purchasing the goods liable to tax under this Act from a registered dealer; or	
	(iii) not issued purchase invoice: in accordance with the provisions of this Act.	
15	Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,-	40% of the value of
	(i) fails to obtain authorization for transit of goods through the State and also fails to prove that goods are meant for delivery to dealers or persons outside the state; or	goods
	(ii) while obtaining authorization for transit of goods through the State undertakes responsibility of handing over such goods to a bona-fide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bona-fide person; or	
	(iii) being a person, who receives any goods from driver or person in-charge of a vehicle for carrying them outside the State, does not carry such goods outside the State; or	
	(iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State;"	
	(ii) for the words "disclosed value" appears of the entries at the serial Nos. 11, 12 and 14 the shall be substitued.	
	(iii) after entry at scrial-21 the followin column wise be inserted, namely:-	g entries shall
'21A-	Where the dealer has included the amount of tax	not less than
	paid or payable, on the turnover of purchase of	the amount of
	the goods in the sale price of goods resold or	tax but,not
	goods manufactured by using such goods.	more than three times of
		tax which has
		been included
		in the sale
		price of the
		goods

2 3 1 21 B-Where the dealer or any other person, as the case 40% of the may be, has issued or received any tax invoice or value of sale invoice or any other document pertaining to goods value of goods, as the case may be, containing value of goods undervalued to the extent more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, with intention to evade payment of tax."

- (b) In the Explanation for caluses (ii) and (iii) the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(ii) If the value of goods described or mentioned in tax invoice, sale invoice or any such other document is under valued to the extent of more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, the estimated value prevalent at the relevant time in such local market area shalll be deemed to be the value of such goods,
 - (iii) If the value of goods is not described or menuoned in tax invoice, sale invoice or any such other document the estimated value prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, shall be deemed to be the value of such goods."

Amendment of section 56 26. In section 56 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "the State Government by notification" the words "the Commissioner" shall be substituted.

Amendment of section 57

- 27. In section 57 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (1) for the words a Tribunal" the words "a Tribunal to be known as Commercial Taxes Tribunal" shall be substituted,
- (b) in sub-section (12); for clauses (b) and (c) following clauses shall be respectively substituted, namely;-
 - (b) an appeal against a direction given under the proviso to sub-section (7) of section 48 shall be heard and disposed of by a bench of two members;-
 - (c)an appeal against an order under section 56 shall be heard and disposed of by a bench of two members."

Amendment of section 59

- 28. In section 59 of the principal Act, for sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-
- "(5) Except as provided in sub-section (3), a decision given by the Commissioner under this section shall, subject to the provisions of sections 57 and 58, be final and shall be binding on all the assessing authorities and appellate authorities."

29. In section 60 of the principal Act for the words and figures "sub-section (1), (2) or (7)" the words and figures "sub-section (1) or sub-section (2)" shall be substituted.

Amendment of section 60

30. In section 63 of the principal Act, in sub-section (3) for the word "prescribed" the words "determined by the State Government" shall be substituted.

Amendment of section 63

31. In section 64 of the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment of section 64

"(2) The petition shall be submitted in such form and in such manner as may be prescribed along with satisfactory proof of deposit of fee of five thousand rupees and full disclosure of his turnover which has not been furnished to the assessing authority with additional amount of tax payable on such turnover and such other particulars to the Settlement Commission to have the case settled:

Provided that no petition shall be entertained unless the amount or tax on the turnover of sale or purchase disclosed in the petition has been paid and proof therefor has been enclosed."

32. In section 65 of the principal Act, After sub section (18) the following sub-section shall be inserted, namely

Amendment of section 65

- "(18-A) Where, during the pendency of any proceeding before it, the Settlement Commission is of the opinion that for the purpose of protecting the interests of the revenue it is necessary so to do, it may order to furnish the security required to be sufficient to cover the revenue loss within the stipulated time in the manner determined by Commission.
- (18-B) Any proceeding before the Settlement Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860)"
- 33. For section 78 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Amendment of section 78

- "78-(1) The State Government may, by notification, establish with effect from such date as may be specified in the notification, a Board to be known as the Uttar Pradesh State Tax Board to perform the functions conferred on it, by or under this Act or the rules made there under, consisting of the following members:-
- (a) The Principal Secretary, Government of Chairperson Uttar Pradesh in Commercial Tax Department. ex. Officio
- (b) Commissioner Commercial Tax, Uttar Member ex.

 Pradesh. Officio

(c) Additional Commissioner (vidhi) Commercial Tax, Uttar Pradesh.	Member Officio
(d) Additional Director (Training), Commercial Tax, Uttar Pradesh.	Member Officio
(e) Joint Commissioner (sodh) Commercial Taxes Headquarters Lucknow	Member Secretar
(f) Additional Legal Remembrancer nominated by the Principal Secretary and Legal Remembrancer to the State Government	Member
(g) An officer of the Finance Department not below the rank of Special secretary to be nominated by the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department	Member
(II) A person who has been a Professor of Economics of a University, nominated by the State Government	Member
(i) A person who has been the Member of the Tribunal or the Additional Commissioner, Commercial Taxes, nominated by the State Government	Member
(j) Two persons from amongst office bearers of the recognized Trade Association nominated by the State Government	Member
(2) The Board shall be the array advisors had a required	

- (2) The Board shall be the apex advisory body regarding system of lar collections, changes in the rate of tax, rules, and procedures, promulgation of schemes, notifications, orders and such other matters as the State Government, may from time to time assigned to it.
- (3) The members referred to in clause (h) to (j) of sub-section (1) shall be entitled to get such facility or benefit and remuneration as may be determined from time to time by the State Government."

Amendment of section 81

34. In section 81 of the Principal Act, in sub-section (2) in clause (b) for the words "manufacturing units enjoying benefits of exemption from payment of tax under section 4-A of the repealed Act or units" the words "manufacturing units" shall had substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Value Added System of taxation for the levy and collection of tax on sale or purchase of goods. With a view removing certain difficulties and shortcomings experienced in the administration of the said Act it has been decided to amend the said Act mainly to provide as follows:-

- (a) The transporter is being excluded form the definition of the dealer:
- (b) The State Government is being empowered to permit and power project industrial unit having aggregate capital investment of rupees one thousand crore or more to own the tax liabilities a dealer of such sales as are made to the unit and also to grant moratorium from payment admitted tax to such nuit;

- (c) The assessing authority is being authorised to accept from any person other than registered dealer, composition money in lieu of tax or penalty on import of goods in to the State subject to the directions of the Commissioner;
- (d) A dealer is being allowed credit of the partial amount of input tax which is mexcess of four percent of the purchase price where the goods are being consigned or transferred by him outside the State other than by way of sale;
- (e) The time for making application for registration under the Act by the dealers holding valid registration certificate under the erstwhile Act is being extended;
- (f) It is being provided for allowing the casual dealers to get themselves registered, receive Forms, pay tax etc.;
- (g) Deduction of Tax at source where sale takes place in the course of inter-State trade or commerce or outside the State or in the course of export out of or import into the territory of India is being abolished;
- (h) The assessing authority is being authorised to withhold the refund in certain cases with the prior permission of the Commissioner;
- (i) The industrial unit availing or granted benefit of exemption from tax on the turnover of purchase based on capital investment before the date of commencement of the Act is being made entitled for exemption by way of refund of earned input tax credit on fulfilling certain conditions;
- (j) Goods undervalued to the extent of more than fifty percent of the value of goods is being made liable to seizure and penalty.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA

Sachiv.